प्रकरण संख्या 77/2016 प्रकाश बनाम श्रीमती सुबा

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.01.2020	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी नंबर 1678, 1688, 1682, 1689, 1681, 1687, 1680, 1686 कुल खेत 8 रकबा 0.42 हैक्टर भूमि ग्राम उदपुरा में स्थित है। उक्त भूमियां वादी ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों से क्रय की थी, जिसमें प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं होते हुए भी वे वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करते हैं। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 30.06.2016 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से वकील श्री भालचन्द नागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने सिविल न्यायालय में विक्रय पत्र को निरस्त करने का वाद रेस्पोन्डेन्ट ने प्रस्तुत किया है। उक्त कार्यवाही को फाईनल मानकर वाद खारिज करने में भूल की है। राजस्व कैम्प अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय पारित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने कैम्प में प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।	

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 25.05.2016 को रखा गया, किन्तु इसके स्थान पर दिनांक 30.06.2016 को प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अपीलान्ट/वादी का वाद मात्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि सिविल न्यायालय में प्रकरण लम्बित है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय को इस पर दोनों पक्षों को सुनकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करना चाजिए है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2016 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.03.2020 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 27.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.01.27 14:21:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: